कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 3546 /12-1 नई टिहरी, दिनांक– 19/06/ 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत पोखार–गेंवली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 6.405 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। **(FP/UK/Road/33492/2018)**

सन्दर्भः– रीजिनल कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति दिनांकः–18–12–2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है–

Sl. No	Short Comming	Clarification/Answer
1	C/B analysis is submitted in old format.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा C/B analysis नये प्रपत्र पर तैयार कर दिया गया है। चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
2	Instead of justification for locating the project in forest land at para D in part I, only Benefit of road is mentioned.	प्रयोक्ता अभिरण द्वारा Justification for locating the project संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है। चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
3	Density mentioned in Part II is 0.1 for 381 trees in 6.405 ha which does not seem to be correct.	प्रस्ताव में 6.405 है0 वन भूमि में 381 वृक्ष विभिन्न व्यास वर्ग के प्रभावित हो रहे है जो प्रति है0 कि दर से 59 वृक्ष हैं। अतः हरियाली का घनत्व संशोधित कर 0.3 अंकित कर दिया गया है तथा घनत्व के अनुसार ही एन0पी0वी0 का संशोधित प्राक्कलन तैयार कर चार प्रतियो में संलग्न कर प्रेषित है।
4	CA scheme uploaded online is neither clear no C/S by DFO.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन की स्पष्ट अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर की गई योजना अपलोड कर दी गई है।
5	Tree enumeration list uplaoded online is not legible.	प्रभावित होने वाले वृक्षो की सुस्पष्ट सूची भाग–2 अतिरिक्त सूचना विवरण में अपलोड कर दी गई है।
6	Part V is not submitted in hard copy	उच्च स्तर से आपेक्षित है।
7	The State Govt. may comment on the assertation of the user agency online at short narrative that the proposed raod would help in inspection of RF by forest department.	प्रश्नगत मोटर मार्ग भिलंगना रेंज के आरक्षित वन भूमि गेंवली क0स0:–6,7,8 व 9 तथा सौड क0स0–1 के बीच से निर्माण हेतु प्रस्तावित है। आरक्षित वन भूमि के बीच से उक्त मार्ग के निर्माण से वन विभाग के कर्मचारियों को वन एवं वन्य जीव सुरक्षा तथा गस्त/निरीक्षण हेतु सुविधा प्राप्त होगी।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

D/PK Gen. Lattre online part-ii

COST BENEFIT ANALYSIS (CBA)

Tab- B: Estimation cost of forest diversion

SN	Parameters	Details (Rs. In Lakhs)	Remarks
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion.	42.08	NPV of Forests
2	Loss of animal husbandary productivity including loss of fodder.	4.21	10% of Net Present Value (NPV)
3	Cost of humman resettlement	NIL	As per resettlement & rehabilitation (R & &) cost
4	Loss of public facilities and adminstrative infrastructure (Roads, buildings, schools, dispensaries, electric lines, railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the prject.	Nil	As per actual cost basis
5	Possession value of forest land diverted	12.62	30% of NPV
6	Cost of suffering to oustees	Nil	Estimated as 10% of R & R
7	habitat Fragmentation Cost	21.04	50% of NPV
8	Compensastory afforestation and soil & moisture conservation cost.	77.48	As per the actual cost of scompensatory afforestation and soil & moisture conservation
	Total	136.39	

Tab- C: Existing guidelines for estimating benefits of forest - diversion in CBA

SN	Parameters	Details	Remarks
1	Increase in productivity attribute to the secifice project.	In lieu of total trees to be affected in forest land under Tehri Forest Division in Tehri Garhwal district, it is proposed to undertake Compensatory afforestation of 12.81 hectares (double of 6.405 ha) of land as per Forest (Conservation) Act and Uttarakhand Govt. under 397/XVIII(II)/2012. At present the density of forest is 0.1, which may increase to 0.5 (assuming 50% servility of the plants in the compensatory afforestation). Thus, an amount of Rs. **108.25** lakhs will be predicted due to increase in productivity attribute.	Net present Value (NPV) for density of 0.1 for ecoclass V is Rs. 6.57 lakhs and NPV for density of 0.5 eco – class V is Rs. 8.45 lakh

Raml
DE

Cauz
(E.E.)

2	benefits to economy	The Government of India Has highlighted the task of Linking the unconstitutional habital in the hilly area with any outside link road for the purpose of generating a large amount of agricultural income and production employment opportunently in rural areas and permanently reducing poverty.In the above order,the order number of the Uttrakhand government number – 2091/III(2)/16-44 (प्रा0आ0) / 2016 Dated – 26.07.2016 (Lenght-10 Km) Approval received for cost 51.40 Lacs.The said proposed route passes through the Village – Pokhar - Gewal (Bhilang), whose population is approximately - 841.Gram sabha pokhar – Gewali (Bhilang) will be benefited by the construction of the motor road. In the future,this route will be connected to the Ranigarh – Laini - Bdwasour motor road . This path will also work in the intervening (Bypass) work and the all around development of the area. Savings in travel time and vehicle operating cost for 50 years in Rs. **312.85** Lakhs.Employment Genretion due to other activities like transportation,Market Dovlopment etc 12 person get 3000 per month An amount of Rs. **216.00** lacs (for 50 Years),07 Beldar /month @Rs.8000 for annual maintinance of road An amount of Rs. **336.00** lacs (for 50 Years) .	
3	No. of population benefited due to the specific project.	Entire population of Pokhar and Gewali Village in Bhilangna Block in Tehri Garhwal District (641) shall be befitted for project.	
4	Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the project	Direct Employment of labours (1) Unskilled 24 @ Rs. 350.00 employed during construction for 24 months @ 312 working days per year i.e. 52.42 lakh (2) Skilled 10 during operating stage for 24 months @ Rs. 495.00 @ 312 working days per year i.e. 30.89 lakh. Total **83.31** lakhs. Inaddition to that further employment shall generated due to religious tourism and advernture tourism.	
5	Economic benefits due to Compensatory Afforestation	Rs. **108.25** lakhs @ Rs. 8,45,000 per hector of eco-class V with density 0.5 (assuming 50% servility of the plants in the compensatory afforestation) for 12.81 hectares (double of 6.405 ha) of compensastory afforestation land.	benefits calculated as per compensatory afforestation accruing over next 50 years
Total		**1056.41 lacs**	

AE

(E.E.)

D-Ashish Regi folder name 2015 EE to DFO Letter Forest

प्रारूप.—11

NOTE: FOR JUSTIFICATION

कार्य का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार — गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 10.00 किमी0)

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि की मांग पूर्ण औचियत्या दर्शाते हुये विस्तृत आख्या निम्नवत है।

उक्त स्वीकृति के अनुपालन में राज्य योजना के अन्तर्गत पौखार—गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु मार्ग का वास्तविक सर्वेक्षण करने के उपरान्त मार्ग की वास्तविक लम्बाई 10 कि0मी0 आंकी गई है। ग्राम गेंवली के चारों ओर आरक्षित वनभूमि है, जिस कारण आरक्षित वनभूमि के अन्तर्गत ही मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव है इसके अतिरिक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में 8,500 मीटर आरक्षित वनभूमि, 650 मीटर सिविल सोयम भूमि एवं 850 मीटर नापभूमि प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं वनभूमि की मांग न्यूनतम है। प्रस्तावित समरेखण घनसाली—घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0—11 से प्रारम्भ तथा ग्रामसभा— गेंवली से होते पंजगाव से पूर्व पर आरक्षित भूमि में समाप्त होता है। चूंकि प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम में ग्राम सभा पौखार—गेंवली (भिलंग) के स्थानीय काश्तकारों की भूमि पड़ती है। ग्राम सभा पौखार—गेंवली (भिलंग) में उन्नत कृषिभूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन है, यातायात की सुविधा होने से ग्रामीण अपनी फसल, दुग्ध उत्पादित पदार्थो को नजदिकीय बाजार में ले जा कर बेच सकेंगें जिससे स्थानीय रोजगार उत्पन्न होगा एवं काश्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जायेगा।

उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में 5.95 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.455 सिविल सोयम भूमि कुल 6.405 है0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वनसरक्षण अधिनियम 1980 के प्रविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित किया गया है तथा यह भी उल्लेखनीय है की प्रस्तावित परियोजना हेतु मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में होना प्रस्तावित है एवं वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 7.00 मीटर बनाया गया है।

ग्राम गेंवली (भिलंग) जनपद टिहरी गढवाल का दुर्गम ग्राम है। जिसकी जिला मुख्यालय से रोड़ हैड घनसाली तक दूरी 65.00 एवं विकास खण्ड मुख्यालय तहसील मुख्यालय से दूरी 10.00 कि0मी0 एवं रोड हैड ग्राम पौखार से ग्राम गेंवली (भिलंग) की पैदल सम्पर्क मार्ग की दूरी 5.00 कि0मी0 है। उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम— पौखार — गेंवली (भिलंग) से होकर गुजरता है, जिनकी आबादी लगभग— 641 है। यह मार्ग घनसाली—घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0—11 से प्रारम्भ तथा ग्रामसभा— गेंवली से होते पंजगाव से पूर्व पर समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामसभा— पौखार — गेंवली (भिलंग) के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय जनता को पैदल ही आवाजाई करनी पड़ती है क्षेत्र का एक मात्र इण्टर कॉलेज कुमशिला में होने के कारण विद्यार्थीयों को 8.00 कि0मी0 लम्बाई में आवाजाई करनी पड़ती है, बुर्जग व्यक्तियों को बिमार होने की स्थिति में डण्डी एवं कण्डी के माध्यम से पूर्व निर्मित घनसाली—घुत्तू मोटर मार्ग तक पैदल ही लाना पड़ता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में वर्तमान में यातायात की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण शव को कंधों पर ढोकर दाह संस्कार हेतु भिलंगना नदी तक लाना पडता है सिलेण्डर एवं रसद को खच्चरों के माध्यम से गांव तक पहुचाने पर काफी खर्चा आता है, उक्त मोटर मार्ग के बन जाने के फलस्वरूप स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा मिल जायेगी, जिससे अपरोक्ष रूप से स्थानीय जनता को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा एवं गांव से पलायन को रोकने में भी कारगार साबित होगा। भविष्य में यह मोटर मार्ग रानीगढ—लैणी—बुढवा मोटर मार्ग से जुड जायेगा। जिसके निर्माण होने से यह मोटर मार्ग बाईपास के रूप में भी कार्य करेगा एवं क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। अतःउक्त मोटर मार्ग निर्माण किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि श्रेणी में ले लिया गया है।

22/4/19
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टिहरी गढवाल

JE

सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड लो०नि०वि०
घनसाली

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

प्रारूप–50

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में पौखार–गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (लम्बाई 10.00 कि0मी0)।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन (संशोधित)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1– ईको–क्लास श्रेणी V

2– हरियाली का घनत्व 0.3

3– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0– 6,57,000.00

4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है0–.... 6.405 है0

5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 42,08,085.00

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी